<u>प्रकाशन हेतु अनुमोदित</u>

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1276/2008

याचिकाकर्ता निलेश कुमार पाण्डेय

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

उपस्थित:

श्री अमृतो दास, अधिवक्ता वास्ते याचिकाकर्ता।

श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव, पैनल अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी क्रमांक 1/राज्य।

श्री बी.डी. गुरु, अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी क्रमांक 2 एवं 3।

श्री एन. नाहा रॉय, अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी क्रमांक 4।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आदेश

(दिनांक 30.10.2013)

वर्तमान रिट याचिका में उत्तरवादी क्रमांक 4 के विधि अधिकारी, गृह (जेल) विभाग के पद पर चयन को चुनौती दी गई है।

2. दिनांक 22.11.2006 को उत्तरवादी क्रमांक 2 — छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (संक्षेप में “पी.एस.सी.”) द्वारा विभिन्न पदों के लिए एक विज्ञापन (अनुलग्नक पी/4) जारी किया गया, जिसमें विधि अधिकारी, गृह (जेल) विभाग के दो पद सम्मिलित थे, जिनमें से एक अनारक्षित वर्ग के लिए तथा दूसरा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए था। उक्त विज्ञापन के अनुसरण में प्राप्त विभिन्न आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के पश्चात, कुल 14 अभ्यर्थियों, जिनमें याचिकाकर्ता तथा उत्तरवादी क्रमांक 4 सम्मिलित थे, को पी.एस.सी. द्वारा साक्षात्कार हेतु बुलाया गया। तथापि, उनमें से 12 अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार में भाग लिया। साक्षात्कार पूर्ण होने तथा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों की तुलना के पश्चात एक प्रविष्य सूची तैयार की गई, जिसमें उत्तरवादी क्रमांक 4 को क्रमांक 1 पर रखा गया, जबकि याचिकाकर्ता क्रमांक 2 पर रहा।

चूंकि अनारक्षित अभ्यर्थी के लिए केवल एक पद था, अतः याचिकाकर्ता को द्वितीय स्थान पर होने के कारण प्रतीक्षा सूची में रखा गया।

3. उक्त प्रविष्य सूची के अनुसार, दिनांक 7.12.2007 को पी.एस.सी. ने औपचारिक रूप से परिणाम जारी किया, जिसमें उत्तरवादी क्रमांक 4 को अनारक्षित वर्ग के पद हेतु चयनित किया गया, जबकि शेखर सिंह को अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित पद हेतु चयनित किया गया तथा याचिकाकर्ता को प्रविष्य सूची के साथ संलग्न प्रतीक्षा सूची में दर्शाया गया।

4. उत्तरवादी क्रमांक 4 के चयन से असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका इस कथन के साथ प्रस्तुत की है कि उत्तरवादी क्रमांक 4 का चयन विज्ञापन में निर्धारित शर्तों के विपरीत किया गया है, और अतः वह अभी खारिज किये जाने योग्य है। तथापि, याचिकाकर्ता ने स्वयं के विधि अधिकारी पद पर नियुक्ति के लिए कोई राहत नहीं मांगी है।

5. अपने कथन के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित आधार प्रस्तुत किए:

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(i) कि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि विधि अधिकारी के पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास अधिवक्ता के रूप में दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जबकि उत्तरवादी क्रमांक 4 के पास उक्त अनुभव उपलब्ध नहीं है।याचिकाकर्ता के अनुसार, दिनांक 3.1.2006 के प्रमाणपत्र के अनुसार, उत्तरवादी क्रमांक 4 दिनांक 20.5.2002 से उक्त प्रमाणपत्र जारी होने तक उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, बिलासपुर का सदस्य था, जबकि उक्त अवधि के दौरान वह पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से वर्ष 2003 से 2005 तक एलएल.एम. पाठ्यक्रम कर रहा था तथा इसके पश्चात वह दिनांक 1.8.2006 से 1.12.2007 तक कौशलेंद्र राव विधि महाविद्यालय, बिलासपुर में संविदा सहायक प्राध्यापक (विधि) के रूप में कार्यरत था। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तरवादी क्रमांक 4 के पास अधिवक्ता के रूप में दो वर्ष का अनुभव था, और इस प्रकार वह विधि अधिकारी के पद के लिए अपात्र था।

इसके अतिरिक्त, विज्ञापन के साथ विभिन्न प्रमाणपत्रों, जिनमें अनुभव प्रमाणपत्र भी सम्मिलित था, के प्रपत्र प्रदान किए गए थे और उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाणपत्र उन प्रपत्रों के अनुरूप नहीं था।

(ii) कि उत्तरवादी क्रमांक 4 ने दिनांक 2.1.2007 को आवेदन पत्र भरते समय गलत जानकारी दी और एक असत्य घोषणा की गई, अतः विज्ञापन की शर्त क्रमांक 13(क)(5) के दृष्टिगत उसकी अभ्यर्थिता अस्वीकार कर दी जानी चाहिए थी।

(iii) कि उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा दिनांक 1.12.2007 को पी.एस.सी. के समक्ष प्रस्तुत की गई जानकारी तथा उसके संबंध में की गई घोषणा, उसके द्वारा दिनांक 2.1.2007 को दी गई जानकारी और घोषणा के विपरीत है और इस आधार पर भी उसकी अभ्यर्थिता अस्वीकार कर दी जानी चाहिए थी।

6. याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत तर्कों का उत्तर देते हुए, उत्तरवादी क्रमांक 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्न प्रकार से तर्क किया गया:

(i) कि वर्तमान याचिका ग्राह्य नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता ने विधि अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अपने प्रकरण पर विचार के लिए कोई अनुतोष नहीं मांगा है और वास्तव में यह याचिका केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए दायर की गई है।

(ii) कि विज्ञापन के अनुसार, उत्तरवादी क्रमांक 4 को एक अधिवक्ता के रूप में दो वर्ष का अनुभव होना आवश्यक था और यहाँ तक कि एलएल.एम. पाठ्यक्रम करते समय भी कोई व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव अर्जित कर सकता है क्योंकि एक व्यवसायरत अधिवक्ता के लिए एलएल.एम. पाठ्यक्रम को एक साथ करने में कोई विधिक बाधा नहीं है, जैसा कि पी.एस.सी. द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ दाखिल अनुलग्नक आर/4 से स्पष्ट है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(iii) कि उत्तरवादी क्रमांक 4 के अनुभव प्रमाण पत्र (अनुलग्नक पी/9) को, जो कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किया गया है, अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। पी.एस.सी. द्वारा स्पष्ट रूप से यह रुख अपनाया गया है कि उच्च न्यायालय में व्यवसाय करने वाले सभी अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रार जनरल द्वारा इसी प्रकार के अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, जैसा कि उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और इसलिए यह वह स्थिति नहीं थी जिसमें उत्तरवादी क्रमांक 4 को कोई भिन्न प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। यहाँ तक कि यह मान लिया जाए कि उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं था, तो भी उसे केवल एक अनियमितता कहा जा सकता है, न कि अवैधता, क्योंकि ऐसे अनुभव प्रमाण पत्र की वैधता को कोई चुनौती नहीं दी गई है।

(iv) जहाँ तक महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने का संबंध है, चूँकि दिनांक 2.1.2007 के प्रपत्र के स्तम्भ क्रमांक 15 को उन अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाना आवश्यक था जो नियमित सेवा में थे और इस संबंध में प्रमाण पत्र मांगा गया था, अतः उत्तरवादी क्रमांक 4, जो उस समय संविदा के आधार पर कार्यरत था, को उस स्तम्भ को भरने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार, उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा की गई घोषणा को गलत या असत्य घोषणा नहीं कहा जा सकता।

आगे, उत्तरवादी क्रमांक 4 ने दिनांक 1.12.2007 के प्रपत्र के स्तंभ क्रमांक 13 को भरते समय, जो विशेष रूप से शासकीय/अर्ध-शासकीय या निजी सेवाओं में कार्यरत अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाना आवश्यक था, यह स्पष्ट घोषणा की थी कि उसने कौशलेंद्र राव विधि महाविद्यालय, बिलासपुर में संविदा सहायक प्राध्यापक (विधि) के रूप में कार्य किया है, पहले दिनांक 1.8.2006 से 30.4.2007 तक और तत्पश्चात दिनांक 2.7.2007 से उक्त प्रपत्र भरने की तिथि तक। अतः उसके चयन से पूर्व सभी तथ्य उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा पी.एस.सी. के समक्ष प्रकट कर दिए गए थे, और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा कोई मिथ्या घोषणा की गई थी या उसने किसी तथ्य को छिपाकर अपनी नियुक्ति प्राप्त की थी।

(v) कि विधि महाविद्यालयों में अधिकांश व्यवसाय करने वाले अधिवक्ता विधि महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य कर रहे होते हैं और यह केवल अंशकालिक कार्य होने के कारण ऐसे व्यक्तियों को न तो महाविद्यालय में पढ़ाने से और न ही न्यायालयों में व्यवसाय करने से रोकता है। अतः, एलएल.एम. पाठ्यक्रम करते समय या अंशकालिक शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए, उत्तरवादी क्रमांक 4 एक व्यवसायरत अधिवक्ता का अनुभव अर्जित कर सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(vi) कि विधिवत सत्यापन करने और शैक्षणिक अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात उत्तरवादी क्रमांक 4 को प्रविष्य सूची में क्रमांक 1 पर रखा गया और वह लगभग पिछले तीन वर्षों से विधि अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, अतः इस चरण पर उसे बाधित करना उसके करियर पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। याचिकाकर्ता को पहले ही गृह विभाग में कल्याण अधिकारी (जेल) के रूप में नियुक्त किया जा चुका है और इस आधार पर भी याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

7. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि परीक्षा का संचालन पी.एस.सी. द्वारा किया गया था और राज्य सरकार केवल एक औपचारिक पक्षकार है।

8. उत्तरवादी क्रमांक 4 के चयन को उचित ठहराते हुए, पी.एस.सी. ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि चूंकि उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाणपत्र वैध था, इसलिए उसे नियमों के अनुसार स्वीकार किया गया। पी.एस.सी. ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि एलएल.एम. पाठ्यक्रम करते समय भी कोई व्यक्ति व्यवसायरत अधिवक्ता का अनुभव प्राप्त कर सकता है, क्योंकि किसी व्यवसायरत अधिवक्ता के लिए साथ-साथ एलएल.एम. पाठ्यक्रम करने में कोई विधिक बाधा नहीं है, जैसा कि पी.एस.सी. द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ दाखिल अनुलग्नक आर/4 में उल्लेखित है।

9. मैंने उभयपक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

10. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जब चयन समिति का निर्णय युक्तिसंगत हो, मनमाना न हो तथा किसी बाहरी या असंगत विचार पर आधारित न हो, तब न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यायालय चयन मंडल की शक्तियों में हस्तक्षेप करते हुए अपने विचार और मत को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, जब तक कि चयन मंडल के सदस्यों पर कोई दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य आरोपित न हो। नियुक्ति/चयन से संबंधित मामलों में अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालय को स्वयं को वैधता के प्रश्न तक सीमित रखना होता है, यह देखने के लिए कि क्या निर्णय लेने वाली प्राधिकारी ने अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया है, विधि की त्रुटि की है या प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन किया है, और ऐसा निर्णय लिया है जिसे कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं लेता या अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है।

11. याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए प्रथम आधार के संबंध में कि उत्तरवादी क्रमांक 4 के पास आवेदन किए गए पद के लिए आवश्यक अनुभव नहीं था, उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाणपत्र (अनुलग्नक पी/9) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उसने दिनांक 20.5.2002 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ की सदस्यता प्राप्त की थी तथा राज्य विधिक परिषद् द्वारा क्रमांक छ.ग./492/2001/अधि. के माध्यम से नामांकित किया गया था और उक्त प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि अर्थात दिनांक 3.1.2006 को वह एक व्यवसायरत अधिवक्ता था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. भले ही उत्तरवादी क्रमांक 4 एलएल.एम. पाठ्यक्रम कर रहा था, उक्त अवधि को व्यवसायरत अधिवक्ता के रूप में अनुभव की गणना करते समय बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि एलएल.एम. के विद्यार्थियों के लिए अपना विधि व्यवसाय जारी रखने में कोई विधिक बाधा नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे एक व्यवसायरत अधिवक्ता अपने एलएल.एम. पाठ्यक्रम को जारी रख सकता है। यह तथ्य पी.एस.सी. द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत दिनांक 24.1.2008 के संप्रेषण (अनुलग्नक आर/4) से भी स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त, एक बार जब पी.एस.सी. यह स्वीकार कर लेता है कि एलएल.एम. पाठ्यक्रम करने वाला व्यक्ति साथ-साथ विधि व्यवसाय कर सकता है, तब इस न्यायालय के लिए यह कहना कठिन होगा कि एलएल.एम. पाठ्यक्रम के दौरान अधिवक्ता के रूप में अर्जित अनुभव को वैध नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार, यदि उत्तरवादी क्रमांक 4 किसी विशेष महाविद्यालय में अंशकालिक शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए विधि व्यवसाय भी कर रहा था, तो उक्त अवधि को भी व्यवसायरत अधिवक्ता के अनुभव के लिए बाहर नहीं किया जा सकता।

13. इसके अतिरिक्त, अधिवक्ता (विधि अध्यापन का अधिकार) नियम, 1979 के नियम 3 के अनुसार, एक व्यवसायरत अधिवक्ता को शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाने की अनुमति है। नियम 3 इस प्रकार है:

> **"3. व्यवसायरत अधिवक्ताओं का विधि अध्यापन करने का अधिकार—** (1) अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम में विपरीत प्रावधान होने के बावजूद, कोई अधिवक्ता, विधि व्यवसाय करते हुए, किसी ऐसे शैक्षणिक संस्थान में विधि अध्यापन का कार्य कर सकता है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) के अर्थ में किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो, बशर्ते कि जिस समयावधि में वह विधि अध्यापन में संलग्न रहता है, वह प्रतिदिन तीन घंटे से अधिक न हो।
>
> (2) जब कोई अधिवक्ता ऐसे किसी शैक्षणिक संस्थान में विधि अध्यापन के लिए नियोजित होता है, तो यदि वह अध्यापन में प्रतिदिन तीन घंटे से अधिक संलग्न नहीं रहता, तो ऐसी नियुक्ति को अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए अंशकालिक रोजगार माना जाएगा, चाहे उस रोजगार का स्वरूप किसी भी प्रकार वर्णित हो या उस पर मिलने वाला पारिश्रमिक (चाहे निश्चित राशि के रूप में हो या किसी वेतनमान के आधार पर या किसी अन्य प्रकार से) कुछ भी हो।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. अतः, उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि किसी व्यवसायरत अधिवक्ता के लिए किसी भी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। यह याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि उत्तरवादी क्रमांक 4 के अध्यापन के घंटे तीन घंटे से अधिक थे और इसलिए वह साथ-साथ विधि व्यवसाय नहीं कर सकता था।

15. जहाँ तक महत्वपूर्ण तथ्यों के प्रकटीकरण का संबंध है, उत्तरवादी क्रमांक 4 ने प्रपत्र भरते समय स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि वह एक निश्चित अवधि के लिए सहायक प्राध्यापक के पद पर संविदा के आधार पर कार्य कर रहा था तथा उसे शैक्षणिक सत्र 2006-07 के लिए 3000/- रुपये तथा शैक्षणिक वर्ष 2007 से आगे के लिए 5000/- रुपये का निश्चित पारिश्रमिक दिया जा रहा था। इस प्रकार सभी आवश्यक जानकारी, जैसे कि एलएल.एम. पाठ्यक्रम करना तथा विधि महाविद्यालयों में अंशकालिक शिक्षक के रूप में कार्य करना आदि, उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा अपने चयन से पूर्व पी.एस.सी. को बता दी गई थी।

16. उपर्युक्त विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय याचिकाकर्ता के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है कि उत्तरवादी क्रमांक 4 के पास दो वर्ष का आवश्यक अनुभव नहीं था या उसने पी.एस.सी. से महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई थी और विधि अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्राप्त करने के लिए मिथ्या घोषणा की थी।

17. वर्तमान याचिका में, याचिकाकर्ता ने केवल उत्तरवादी क्रमांक 4 की विधि अधिकारी के पद पर नियुक्ति को अपास्त करने की प्रार्थना की है, परंतु स्वयं उस पद पर अपनी नियुक्ति की मांग नहीं की है। यद्यपि इस संबंध में उत्तरवादी क्रमांक 4 ने अपने प्रतिवेदन में आपत्ति उठाई थी, फिर भी याचिकाकर्ता ने याचिका में आवश्यक संशोधन करना उचित नहीं समझा। अतः प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता गृह विभाग में कल्याण अधिकारी (जेल) के पद पर अपनी नियुक्ति से संतुष्ट है, जो उसे वर्तमान याचिका दायर करने के पश्चात प्राप्त हुई। इस स्थिति में, यह याचिका शैक्षणिक भी हो गई है।

18. उपर्युक्त विचारव्यक्त करते हुए यह न्यायालय पाती है कि पी.एस.सी. द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 4 की विधि अधिकारी के पद पर नियुक्ति में कोई अवैधता, अविवेकशीलता या अनुचितता नहीं की है। इस याचिका में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को उचित ठहराए। तदनुसार, याचिका खारिज की जाती है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ...... RANJAN GUPTA, ADVOCATE